लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3515
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास की बढ़ती लागत

3515. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मिलों के बंद होने, आजीविका की हानि, अवसरों की कमी और कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों ने उद्योग और निर्यात बाजार को पंगु बना दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कपास और अन्य कच्चे माल की बढ़ती लागत, जिसके कारण मिलों के लिए उत्पादन जारी रखना लगभग असंभव हो गया है, को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जबकि उद्योग संघ सरकार से नीतिगत सहायता की मांग कर रहे हैं; और

(ग) इस क्षेत्रक की वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं क्योंकि बैंक इस उद्योग को पेश आ रही कठिनाइयों का हवाला देते हुए इसके वित्त पोषण को लेकर संशय में हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है, साथ ही निर्यात निष्पादन की निरंतर निगरानी भी कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन तथा बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ-योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि है। इसके अलावा, भारत सरकार देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना को क्रियान्वित कर रही है।

कपास पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने वैश्विक कपास बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. कपास की पैदावार बढ़ाने, फसल सुरक्षा उपायों, कपास की ब्रांडिंग, कृषि मशीनीकरण और फार्म टू फैशन तक समग्र योजना के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर कपास अर्थव्यवस्था के विकास सहित संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर विचार-विमर्श, सिफारिश और सुविधा प्रदान करने हेतु एक सलाहकार निकाय के रूप में वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया गया है।
ii. भारतीय कपास के लिए ब्रांड नाम "कस्तूरी कॉटन भारत" लॉन्च किया गया ताकि व्यापार और उद्योग को कस्तूरी कॉटन भारत की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
iii. दिनांक 20.02.2024 से कच्ची कपास के एक्स्ट्रा लोंग स्टेपल फाइबर पर बेसिक सीमा शुल्क हटा दिया गया है।
iv. सरकार प्रतिवर्ष कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। यह व्यवस्था न केवल यह सुनिश्चित करती है कि कपास का बाजार मूल्य एमएसपी दरों से कम होने की स्थिति में किसानों को उनकी उपज के लिए उचित लाभकारी मूल्य मिले, बल्कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा दैनिक ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कपास की उपलब्धता की सुविधा भी प्रदान करती है।

****